

(51)

निज-3042-15/16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-ग्वालियर

- 1- कप्तान सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद
- 2- महाराज सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद
- 3- नारायण सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद
निवासीगण-वार्ड क्रमांक 13 भितरवार जिला
ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मदनलाल सोनी पुत्र श्री राजाराम
- 2- देवीलाल पुत्र श्री ग्यासीराम
- 3- श्रीमती कलाबाई बेवा ज्वाला प्रसाद,
निवासी - भितरवार जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- 4- श्रीमती रामश्री पुत्री ज्वाला प्रसाद
निवासी - न्यू हाईकोर्ट के पीछे सिटी सेन्टर
ग्वालियर (म.प्र.)
- 5- श्रीमती शीला पुत्री ज्वाला प्रसाद
निवासी - अमरोल तहसील चिनौर जिला
ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील भितरवार द्वारा प्रकरण क्रमांक
11/2015-16/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के उपनियम 1 एवं 2 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम भितरवार में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2517 रकवा 0.042 है0 उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि है उक्त भूमि में से रकवा 15 फीट की चौड़ाई एवं 200 फीट की लम्बाई में विवादित भूमि है जिसे नक्शों लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। उक्त


न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगा. 3642 - PDR/16

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p>	


2/32


अध्यक्ष